Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
2.ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

परिवाद संख्या–277 / 2026

श्री कृष्ण कुमार, पुत्र श्री देव राम,
ग्राम– सैज, पो0ऑ0– सैज,
जिला– बागेश्वर। वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
बागेश्वर। प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन एकाउंट संख्या 4011271354 के सापेक्ष, 24. 03.2023 को रू0 1400 जमा किये थे। इसके पश्चात् नवंबर 2025 में एकाएक रू0 58035 का बिल प्राप्त हुआ जो कि गलत है। उन्होने उपरोक्त बिल को ठीक कराने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1079 दिनांक 12.12.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, बागेश्वर को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.12.2025 में वादी तथा प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही विभाग की तरफ से कोई आख्या प्राप्त हुयी थी। विभाग को निर्देशित किया गया था कि 15 दिन के अंदर उपरोक्त पर विस्तृत आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि 15.01.2026 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 15.01.2026 तथा 09.02.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से अधिसाशी अभियंता बागेश्वर के द्वारा सूचित किया गया था कि वादी के बिल मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किये गये थे। उन्होंने कहा था कि मीटर की एम.आर.आई की जा रही है और आगे की कार्यवाही एम.आर.आई रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी।

विभाग को निर्देशित किया गया था कि 15 दिन के अंदर मीटर की एम.आर.आई कराकर विस्तृत रिपोर्ट मंच की अगली सुनवयी तिथि 25.02.2026 से पहले भेजना सुनिश्चित करें।

4 .मंच की अंतिम सुनवाई दिनांक 25.02.2026 में वादी की तरफ से उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 7351483089 पर बात की गयी। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आनंद खोलिया एस.डी.ओ बागेश्वर ने बताया है कि वादी के मीटर की एम.आर.आई होना संभव नहीं हो पा रहा है।

वाद सं0 237/2026

विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह बिलिंग हिस्ट्री के साथ अपनी आख्या 10 दिन के अंदर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि 17.03.2026 नियत की गयी थी।

5 .मंच की सुनवाई दिनांक 17.03.202 तथा 06.04.2026 में वादी की तरफ श्री देव राम पिता श्री कृष्ण कुमार तथा विभाग की तरफ से श्री आनंद खोलिया एस.डी.ओ बागेश्वर उपस्थित हुए। विभाग ने बताया है कि वादी के मीटर की एम.आर.आई होना संभव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि यह प्रकरण डंप रीडिंग से संबंधित है। वादी का कहना था कि मीटर जल गया है, जबकि विभाग का कहना था कि मीटर में रीडिंग आ रही है । विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह मीटर को चेक करें और अगर मीटर जल गया है तो इसको बदल दें। वादी को कहा गया था कि वह मंच की अगली सुनवायी तिथि 30.04.2026 से पहले लमसम् रू0 10,000 जमा करा दें। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह उपरोक्त पर विस्तृत आख्या दिनांक 30. 04.2026 से पहले भेजना सुनिश्चित करें।

6.आज दिनांक 29.05.2026 में बागेश्वर में प्रस्तावित उपभोक्ता शिकायत निवारण कैंप में वाद की अंतिम सुनवायी की गयी।.वादी की तरफ श्री कृष्ण कुमार तथा विभाग की तरफ से श्री आनंद खोलिया एस.डी.ओ बागेश्वर मय् कु0 पूजा पंत ए.ई.आर उपस्थित हुए।

वादी ने बताया है कि विगत में उनके बिल लगभग 125 यूनिट प्रतिमाह औसत के आधार पर आते रहे है। लेकिन फरवरी 2025 में 4361 यूनिट का निर्गत हुआ है जो कि गलत है।

बिलिंग हिस्ट्री देखने पर प्रतीत होता है कि वादी के बिल औसतन, रीडिंग आधारित लगभग 125 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर निर्गत किये जाते रहे हैं जबकि फरवरी 2025 में यह एकाएक 4361 यूनिट का निर्गत हुआ है। विभाग ने बताया कि वादी के परिसर पर चैक मीटर लगाया गया था जिसकी तुलना करने पर मेन मीटर सही पाया गया। विभाग ने यह भी बताया कि मीटर की एन.आर.आई होना संभव नहीं हो पा रहा है। इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह फरवरी 2025 से पहले पिछले 03 वर्ष का औसत लेते हुए 4361 यूनिट का पुनः निर्धारण करें और 15 दिन के अंदर संशोधित बिल वादी को उपलब्ध कराएं तदपश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

आदेश

बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार वादी के बिल, प्रतिमाह विगत में औसतन् लगभग 125 यूनिट के, रीडिंग के आधार पर निर्गत किये गये हैं। अतः नवबंर 2025 में 4361 यूनिट का बिल रू0 आना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः निर्गत 4361 यूनिट के बिल के परीक्षण हेतु विभाग को निर्देशित किया गया.था कि वह संबंधित अवधि की एमआरआई कराकर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि यह स्पष्ट हो सके कि निर्गत बिल जंप रीडिग का है अथवा डंप रीडिंग का है। विभाग ने बताया कि वादी के मीटर की एम.आर.आई करने को कोशिश की गयी परंतु मीटर की एम.आर.आई होना संभव नही हो पा रहा है। विगत में मीटर कंपनी द्वारा एमआरआई0 कराने के पश्चात् अल्मोड़ा जिलें के कई उपभोक्ताओं की रीडिंग में जंपिंग पायी गयी थी जिनमें जंप रीडिंग को अनदेखा किया गया था।

इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि पिछले 03 वर्ष के विद्युत उपभोग के औसत के आधार पर निर्गत 4361 यूनिट के बिल की गणना करें और 15 दिन के अंदर संशोधित बिल वादी को उपलब्ध कराएं तदपश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक –29.05.2026

बी0 एस0 बिष्ट 29/5/26
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
अल्मोड़ा

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
2. ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

परिवाद संख्या–285 / 2026

श्री कवीन्द्र सिंह राठौर,
ग्राम– सिमगड़ी, तहसील काण्डा,
जिला– बागेश्वर।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
बागेश्वर।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में अधिशासी अभियंता, यू0पी0सी0एल0, विद्युत वितरण खंड बागेश्वर के विरूद्ध 18 बिंदुओं पर, एक आरोप पत्र की प्रतिलिपी मंच के समक्ष प्रस्तुत की है जिसमें उन्होने संयोजन संख्या बीजी01एन211059095 के सापेक्ष निर्गत बिल रू0 66758 की अनियमिताओं के बारे में शिकायत की है (आरोपपत्र सलंग्न हैं।)

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1137 दिनांक 16.02.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, बागेश्वर को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 26.02.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री एस0 एस0 भण्डारी उपखंड अधिकारी बागेश्वर ने बताया कि संयोजन संख्या बी0जी01एन 211059095, श्री चंद सिंह के नाम से निर्गत किया गया था जिसके सापेक्ष नव0 2024 में मीटर रीडिंग 12946 यूनिट तथा पिछली मीटर रीडिंग 3120 यूनिट के अनुसार कुल रीडिंग 9826 यूनिट का बिल रू0 66758 निर्गत किया गया था जिसको डंप रीडिंग प्रकरण मानते हुए तथा रू0 30817 का समायोजन देते हुए फरवरी 2025 के बिल में रू0 30871 का क्रेडिट देते हुए, देय धनराशि 38905 रू0 की गणना हुयी, जिसे वादी ने दिनांक 07.03.2025 को जमा करा दिया।

वादी ने यह भी बताया कि वादी के बिल रीडिंग आधारित निर्गत किये गये थे जिन्हें वादी भुगतान करते आ रहे थें। वादी को कहा गया था कि वह अपने प्रार्थना पत्र में हर्जाना / जुर्माना के बावत् किये गये अनुरोध के अनुक्रम में, दिनांक 17.03.2026 को प्रातः 11.30 बजे मंच की सुनवायी में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। मंच की अगली सुनवायी तिथि 17.03.2026 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 17.03.2026 में वादी की तरफ से श्री कवीन्द्र सिंह राठौर उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

वादी की तरफ से आपत्ति की गयी थी कि मंच के समक्ष प्रस्तुत 18 बिंदुओं में से, वादी केवल 02 बिंदुओं पर ही सहमत है। अगली सुनवायी तिथि 06.04.2026 नियत की गयी थी।

4 .मंच की अगली सुनवाई दिनांक 06.04.2026 में वादी की तरफ से श्री कवीन्द्र सिंह राठौर उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी ने बताया कि अधिशासी अभियंता बागेश्वर के कार्यालय में अधिकारियों का व्यवहार मनमाना एवम् एकतरफा है और किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। वादी ने विभाग द्वारा शिथिलता बरतने के कारण हर्जाने की मांग की थी।

माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा विभिन्न विषयों में अनुपालन करने के लिए निर्गत एस0ओ0पी में विभिन्न टाईमलाईन निर्धारित की है जिनके अनुपालन ना होने पर उपभोक्ता अपने बिल में क्षतिपूर्ति लेने के हकदार हैं। अगली सुनवायी तिथि 30.04.2026 नियत की गयी थी।

5 .मंच की सुनवाई दिनांक 30.04.2026 में वादी की तरफ श्री कवीन्द्र सिंह राठौर से फोन पर बात की गयी। विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी नें अनुरोध किया कि वादी द्वारा दिये गये शिकायत पत्रों के 18 बिंदुओं पर यू0पी0सी0एल0 से बिंदुवार उत्तर लिया जाए। विभाग द्वारा पंत्राक 632 दिनांक 24.02.2026 के माध्यम से दिया गया उत्तर अपूर्ण है। विभाग को पुनः निर्देशित किया गया था कि वह वादी द्वारा प्रेषित शिकायत पत्र के 18 बिंदुओं पर बिंदुवार उत्तर/स्प्टीकरण 15 दिन के अंदर भेजना सुनिश्चित करें। प्रकरण की अगली सुनवायी, मंच द्वारा प्रस्तावित उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर, खंड कार्यालय में दिनांक 29.05. 2026 को 2.30 पी0एम0 को नियत की गयी थी।

6.मंच की अंतिम सुनवाई दिनांक 29.05.202 में खंड कार्यालय बागेश्वर में उपभोक्ता शिकायत निवारण कैंप में की गयी। वादी की तरफ श्री कवीन्द्र सिंह राठौर तथा विभाग की तरफ से श्री आनंद खोलिया एस.डी. ओ बागेश्वर उपस्थित हुए। विभाग ने वादी द्वारा प्रेषित प्रर्थनापत्र के 18 बिंदुओं पर वांछित उत्तर प्रेषित किया जिसकी प्रतिलिपी वादी को शिविर में उपलब्ध करा दी गयी है। वादी तथा प्रतिवादी की सहमती से प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

वादी द्वारा यू0पी0सी0एल0 के विरूद्व डंप रीडिंग का बिल निर्गत करने, चेक मीटर ससमय ना लगाने, नियत समय पर सुविधा/सेवा प्रदान करने में लापरवाही तथा विद्युत अधिकारियों के खराब व्यवहार का आरोप लगाते हुए जुर्माने एंव हर्जाने के लिए निवेदन किया हैं।

आदेश

यह प्रकरण विभाग द्वारा 9826 यूनिट की डंप रीडिंग का रू0 66758 का बिल निर्गत करने से संबंधित है जिसे विभाग ने फरवरी 2025 के बिल में, रू0 30817 का समायोजन करने के पश्चात्, नेट बिल रू0 38905 का निर्गत किया था जिसे वादी ने 07.03.2025 को जमा करा दिया।

विभाग द्वारा बताया गया है कि विभाग द्वारा रीडिंग आधारित निर्गत बिल वादी द्वारा जमा कराएं जाते रहे है। वादी द्वारा यू0पी0सी0एल0 के विरूद्व डंप रीडिंग का बिल निर्गत करने, चेक मीटर ससमय ना लगाने, नियत समय पर सुविधा/सेवा प्रदान करने में लापरवाही तथा विद्युत अधिकारियों के खराब व्यवहार के आरोप लगाते हुए जुर्माने ऐव हर्जाने के लिए निवेदन किया हैं।

माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा पहले से एक एस0ओ0पी0 निर्गत है जिसमें विभाग द्वारा विभिन्न विषयों में अनुपालन करने के लिए अलग–अलग टाईमलाईन निर्धारित की है जिनके अनुपालन ना होने पर उपभोक्ताओं के बिलों में, उपभोक्ताओं के निवेदन पर, क्षतिपूर्ति प्रदान करने का प्रावधान है।

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त एस0ओ0पी0 के अनुसार वादी के द्वारा प्रेषित विभिन्न बिंदुओं का परीक्षण करें तथा नियमानुसार वादी के बिल में उपरोक्त टाईमलाईन का उल्लघंन करने पर, यदि कोई हो, तो वादी के बिल में क्षतिपूर्ति प्रदान करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

29/5/26

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक –29.05.2026

29/05/26

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

29/5/2026

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
अल्मोड़ा

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या 290 / 2026

श्री चामू सिंह देवली,
ग्राम– कपकोट, तहसील– कपकोट,
जिला– बागेश्वर। वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
बागेश्वर। प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या बी0जी01जे211102859 के सापेक्ष अप्रैल 2025 में रू0 181110 का बिल प्राप्त हुआ है जिसमें से उन्होने 30,000 जमा करा दिये है लेकिन विभाग ने अभी तक बिल को ठीक नहीं किया है। उन्होंने बिल को ठीक करवाने का अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1142 दिनांक 16.02.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, बागेश्वर को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 25.02.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री एस0 एस0 भण्डारी उपखंड अधिकारी ने बताया कि यह प्रकरण लोक अदालत में दिनांक 28. 02.2026 को पंजीकृत है। वादी को कहा गया था कि वह एक अंडरटेकिंग प्रेषित करें कि यह प्रकरण किसी अन्य अदालत में विचाराधीन नहीं है। अगली सुनवायी तिथि 17.03.2026 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.03.2026 तथा 06.04.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही वादी ने मंच की पिछली सुनवायी 25.02.2026 के अनुक्रम में कोई अंडरटेकिंग प्रस्तुत की हैं कि यह प्रकरण किसी न्यायाल में विचाराधीन नहीं है। अगली सुनवायी तिथि 30.04.2026 नियत की गयी थी।

4 .मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 17.06.2026 में की गयी जिसमें वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही वादी ने मंच की पिछली सुनवायी दिनांक 25.02.2026, 17.03.2026, 06.04.2026 30.04.2026, 29.05.2026 के अनुक्रम में अभी तक कोई अंडरटेकिंग प्रस्तुत नहीं की है जिसमें स्पष्ट हो सकें कि यह प्रकरण किसी अन्य न्यायाल में विचाराधीन नहीं हैं।
अगर कोई प्रकरण पहले से ही किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसे प्रकरण में मंच द्वारा सुनवायी करना संभव नहीं है।

17/6/26 17/6/2026

परिवाद संख्या 290 / 2026

आदेश

प्रकरण में विभाग द्वारा बताया गया है कि यह प्रकरण माननीय लोक अदालत में विचाराधीन है। वादी को मंच की सुनवायी दिनांक 25.02.2026, 17.03.2026, 0604.2026, 30.04.2026 तथा 29.05.2026 में कहा गया था िकवह च के समक्ष एक अंडरटेकिंग प्रस्तुत करें। यह प्रकरण किसी अन्य न्यायाल में विचाराधीन नहीं है अगर कोई प्रकरण पहले से ही किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसे प्रकरण में मंच द्वारा सुनवायी करना संभव नहीं है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 17.06.2026

बी0 एस0 बिष्ट उपभोक्ता सदस्य	ओ0पी0 दीक्षित तकनीकी सदस्य	कु0 निर्मला तिवारी न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
अल्मोड़ा

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora -- 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
2.ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

परिवाद संख्या–298 / 2026

श्री उम्मेद सिंह परिहार,
ग्राम– खोली, पो0ऑ0– भटोली,
जिला– बागेश्वर। वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
बागेश्वर। प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या बीजी2 5221050233 के सापेक्ष, मार्च 2021 में उनका बिल रू0 44122 का आया था जिसका उन्होने भुगतान कर दिया था। इसके बाद रू0 12000,14000 के बिल निर्गत किये गये थे। एक साल बाद अचानक उनको 6842 यूनिट का बढा हुआ बिल रू0 256951 प्राप्त हुआ है जो घरेलू संयोजन के लिए अधिक है

उन्होने उपरोक्त बिल को ठीक कराने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1179 दिनांक 23.03.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, बागेश्वर को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 06.04.2026 में वादी की तरफ से श्री उम्मेद सिंह परिहार तथा विभाग की तरफ से श्री आनंद खोलिया एस.डी.ओ. बागेश्वर उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि उनका स्वीकृत भार 01 किलोवाट है तथा विगत में उनके प्रतिमाह बिल लगभग रू0 300 आते रहे है। उन्होने बताया कि एकाएक उनके संयोजन संख्या बीजी2 5221050233 के सापेक्ष 2021 में रू0 44122 का बिल आया था जिसका उन्होंने भुगतान कर दिया था। उसके पश्चात् उनका बिल रू0 50000 आया था और बीच बीच में भारी भरकम राशि रू0 12000, 14000, 40000 के बिल प्राप्त हुए हैं जो वर्तमान में बढ़कर रू0 256951 हो गया है। प्रथम दृष्टिया 01 किलोवाट विद्युत संयोजन के सापेक्ष इतनी बडी धनराशि का बिल सही प्रतीत नहीं हो रहा है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह मार्च 2021 से अद्यतन् बिलों का स्टेटमेंट ऑफ एकांउट के साथ विस्तृत आख्या मंच की अगली सुनवायी तिथि 30.04.2026 से पहले प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

विभाग ने अपने पत्र संख्या 267 दिनांक 05.04.2026 के द्वारा बताया था कि वादी ने जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग बागेश्वर में इस प्रकरण में वाद दायर किया हुआ है जिसमें सुनवायी की कार्यवाही गतिमान है।

25/05/26 25/5/2026

वादी को कहा गया था कि वह उपरोक्त पर निर्णय लें और सूचित करें कि अगर वह इस मंच के समक्ष सुनवायी चाहते है तो उन्हें जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग बागेश्वर से प्रकरण वापिस लेना होगा और तद्पश्चात् नियमानुसार इस मंच में आगे की कार्यवाही की जाएगी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 30.04.2026 में वादी की तरफ से श्री उम्मेद सिंह परिहार उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से कोई. उपस्थित नहीं हुआ। वादी ने माननीय जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग बागेश्वर से केस वापस लेने का आदेश संलग्न किया है।

वादी ने बताया था कि विगत में उन्होने बिलों का भुगतान किया था लेकिन एकाएक उनको एक वर्ष का बिल रू0 256951 बिल प्राप्त हुआ है, जो कि गलत क्योंकि विगत मे उनके प्रतिमाह बिल रू0 500 से नीचे आते रहे है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह मीटर की एम0आर0आई0 कराकर पिछले दो साल की एम0आर0आई0 रिपोर्ट के साथ विस्तृत आख्या बिलिंग हिस्ट्री के साथ प्रस्तुत करें। विभाग दारा सूचित किया गया था कि उपभोक्ता के परिसर में दि0 18/03/2026 को चेक मीटर लगाया गया है जिसकी रिपार्ट प्रतिक्षित है। अगली सुनवायी दिनांक 29/05/2026 में बागेश्वर खण्ड कार्यालय में प्रस्तावित उपभोक्ता शिविर में की जायेगी ।

4 आज दिनांक 29.05.2026 में बागेश्वर में प्रस्तावित उपभोक्ता शिकायत निवारण कैंप में प्रकरण की सुनवायी की गयी। वादी की तरफ से श्री उम्मेद सिंह परिहार तथा विभाग की तरफ से श्री आनंद खोलिया एस.डी.ओ बागेश्वर मय् सुश्री पूजा पंत ए.ई.आर उपस्थित हुए।

वादी ने बताया है कि उनके बिल दो महिनों के आधार पर लगभग 250 यूनिट के आते रहे है लेकिन एकाएक फरवरी 2025 से फरवरी 2026 तक 01 वर्ष का बिल 6842 रीडिंग का एक साथ आया है जो कि गलत है। विभाग ने बताया कि वादी के मीटर की एम.आर.आई करने की कोशिश की गयी परंतु पुराना मीटर होने के कारण मीटर की एम.आर.आई होना संभव नहीं हो पा रहा है। बिलिंग हिस्ट्री देखने से प्रतीत होता है कि वादी के बिल प्रतिमाह विगत में लगभग 125–150 के आधार पर आते रहे है। अतः 01 वर्ष का बिल फरवरी 2025 से फरवरी 2026 तक 6842 यूनिट का आना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है।

बिलिंग हिस्ट्री देखने से स्पष्ट है कि वादी के बिल दिसबंर 2021 से रीडिंग के आधार पर निर्गत किये गये है। अतः फरवरी 2026 में 6842 यूनिट के बिल के परीक्षण हेतु विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह संबंधित अवधि की एमआरआई कराकर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि यह स्पष्ट हो सके कि निर्गत बिल जंप रीडिग का है अथवा डंप रीडिंग का है। विभाग ने बताया कि वादी के मीटर की एम.आर.आई करने की कोशिश की गयी परंतु पुराना मीटर होने के कारण मीटर की एम.आर.आई होना संभव नहीं हो पा रहा है। विभाग दारा यह भी सूचित किया गया है कि उपभोक्ता के परिसर में दि0 18/03/2026 को चेक मीटर लगाया गया था जिसकी तुलना करने पर मेन मीटर सही पाया गया विगत में मीटर कंपनी द्वारा एमआरआई0 कराने के पश्चात् अल्मोडा जिलें के कई उपभोक्ताओं की रीडिंग में जंपिंग पायी गयी थी जिनमें जंप रीडिंग को अनदेखा किया गया था। इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि पिछले 03 वर्ष के विद्युत उपभोग के औसत के आधार पर फरवरी 2025 में निर्गत बिल की गणना करें और 15 दिन के अंदर संशोधित बिल वादी को उपलब्ध कराएं तदपश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

आदेश

बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार वादी के बिल, प्रतिमाह विगत में लगभग 125–150 यूनिट के, रीडिंग के आधार पर निर्गत किये गये है। अतः फरवरी 2026 में एक वर्ष का बिल 6842 यूनिट का आना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः फरवरी 2026 में निर्गत 6842 यूनिट के बिल के परीक्षण हेतु विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह संबंधित अवधि की एमआरआई कराकर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि यह स्पष्ट हो सके कि निर्गत बिल जंप रीडिग का है अथवा डंप रीडिंग का है। विभाग ने बताया कि वादी के मीटर की एम.आर.आई करने की कोशिश की गयी परंतु पुराना मीटर होने के कारण मीटर की एम.आर.आई होना संभव नहीं हो पा रहा है। विगत में मीटर कंपनी द्वारा एमआरआई0 कराने के पश्चात् अल्मोडा जिलें के कई उपभोक्ताओं की रीडिंग में जंपिंग पायी गयी थी जिनमें जंप रीडिंग को अनदेखा किया गया था।

29/5/26

29/5/2026

इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि पिछले 03 वर्ष के विद्युत उपभोग के औसत के आधार पर फरवरी 2025 में निर्गत बिल की गणना करें और 15 दिन के अंदर संशोधित बिल वादी को उपलब्ध कराएं तद्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक –29.05.2026

29/05/26

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

29/5/2026

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
अल्मोड़ा